संचालनालय आयुष, म0प्र0

(भू–तल "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail:jdayush@mp.gov.in

office-(0755)2552931
Fax-(0755) 2760225

===

क्र./IV–स्थापना/एफ–104/2022/2544 भोपाल, दिनांक 26/04/2022

मॉप–अप - II काउंसिलिंग हेतु पर्यवेक्षकों के लिये सीट आवंटन हेतु अतिरिक्त दिशा–निर्देश

पर्यवेक्षकों के लिए मॉप–अप - II चरण काउंसिलिंग हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में निम्नलिखित अतिरिक्त नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं–

1– पर्यवेक्षक निम्न 03 प्रकार के पत्रक/सूची तैयार करेंगे:–
   1. उपस्थिति पत्रक
   2. मेरिट सूची
   3. आवंटन सूची

2– उपरोक्त पत्रक/सूची तैयार करने हेतु पर्यवेक्षक एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध अभ्यर्थियों द्वारा च्वाइस की गई महाविद्यालयों की सूची के अंतिम कॉलम पश्चात् 03 नवीन कॉलम दर्ज कर उसमें हस्ताक्षर, दिनांक एवं समय अंकित करें। तदोपरांत सूची का प्रिंट लेकर उक्त सूची पर उभ्यर्थियों के हस्ताक्षर कराकर उपस्थिति दर्ज करावें।

3– दिनांक 27/04/2022 को दोपहर 12:00 बजे तक उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को उक्त एक्सल शीट में से डिलीट कर मेरिट सूची तैयार करेंगे।

4– दिनांक 27/04/2022 को दोपहर 12:00 बजे तक उपस्थिति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार कर दोपहर 01:00 बजे तक महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें तथा उपस्थिति पत्रक एवं मेरिट सूची स्केन कर दोपहर 01:30 बजे तक संचालनालय के मेल jdayush@mp.gov.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे।

5– दिनांक 27/04/2022 को दोपहर 12:00 बजे तक उपस्थिति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों की तैयार की गई मेरिट सूची से महाविद्यालय में मॉप–अप–II चरण की उपलब्ध सीट संख्या अनुसार (जो एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है) नियमानुसार प्रवर्गवार/संवर्गवार सीट आवंटन करेंगे। उक्त मेरिट सूची में आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर आरक्षित वर्ग की सीट स्नातक प्रवेश नियम 5.8 के अनुसार परिवर्तन करते हुए सीट आवंटन करेंगे।

6– उपरोक्त आवंटन सूची के अभ्यर्थी यदि सांय 06:00 बजे तक प्रवेश नहीं प्राप्त करते हैं, तो पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश प्राप्त करना नहीं चाहता है, तदोपरांत मेरिट सूची से अगले अभ्यर्थी को नियमानुसार सीट आवंटित करते हुए प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

7– दिनांक 27/04/2022 को दोपहर 12:00 बजे के पश्चात् उपस्थिति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थी को सीट आवंटन की कार्यवाही उपरोक्त तैयार की गई मेरिट के समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के उपरांत सीट रिक्त रहने पर ही सांय 06:00 बजे के पश्चात प्रवेश दिया जा सकेगा।

8– सीट आवंटन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु डॉ. एम. फारूक, उप संचालक, संचालनालय आयुष, म.प्र. से मो.नं.– 7828550208 पर संपर्क करेंगे।

26.04.2022

(डॉ0 एम0 फारूक)
उप संचालक
संचालनालय आयुष म0प्र0